भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशित]

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 जून, 2018

फा. संख्या बीएस/11/04/2018- केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ – इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है;

#(ख) ''नियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम अथवा नियमों में परिभाषित है, के वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम अथवा नियमों में हैं;

3. सलाहकार समितियों का गठन - अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासी परिषद् निम्नलिखित सलाहकार समितियों का गठन करेगी, अर्थात :-

(क) वित्त सलाहकार समिति ;

(ख) अनुरूपता आकलन सलाहकार समिति ;

(ग) मानक सलाहकार समिति ;

(घ) परीक्षण एवं अंशांकन सलाहकार समिति ;

(ड) उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति ।

4. वित्त सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य - (1) वित्त सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(i) विशेष सचिव अथवा अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - अध्यक्ष;

(ii) ब्यूरो के महानिदेशक;

(iii) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय;

(iv) राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद का एक प्रतिनिधि;

(v) महानियंत्रक लेखा परीक्षक कार्यालय का एक प्रतिनिधि;

(vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मुख्य वित्तीय अधिकारी;

(vii) अध्यक्ष द्वारा यथा नामित कोई अन्य सदस्य;

(viii) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (वित्त) - सदस्य सचिव।

(2) वित्त सलाहकार समिति निम्नलिखित से संबंधित नीति पर सलाह देगी -

(i) दीर्घावधि के लिए वित्त संसाधन जुटाना;

(ii) वार्षिक बजट; एवं

(iii) वार्षिक वित्तीय विवरण।

5. अनुरूपता आकलन सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य - (1) अनुरूपता निर्धारण सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) ब्यूरो के महानिदेशक - अध्यक्ष

(ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम संयुक्त सचिव पद या इसके समतुल्य पद का एक प्रतिनिधि -

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में व्यापार योजना (विश्व व्यापार संगठन अथवा व्यापार में तकनीकी बाधाएं) से संबंध रखने वाला विभाग;

(ख) मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणता प्रमाणन;

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण;

(घ) महानिदेशक, सेवाएँ निर्यात संवर्धन परिषद्;

(ङ.) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग;

(च) इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय

(iii) उद्योग, व्यापार एवं उनके परिसंघों से एक प्रतिनिधि;

(iv) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन से एक प्रतिनिधि

(v) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(vi) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (प्रमाणन) - सदस्य सचिव।

(2) अनुरूपता निर्धारण सलाहकार समिति निम्नलिखित पर सलाह देगी -

(i) अनुरूपता निर्धारण से संबंधित नीति मामले;

(ii) देश और विदेश में ब्यूरो की अनुरूपता निर्धारण गतिविधियों का विकास;

(iii) देश और विदेश में अन्य संगठनों के साथ अनुरूपता निर्धारण गतिविधियों का समन्वय;

(iv) सर्वेक्षण एवं निगरानी;

(v) अनुरूपता निर्धारण स्कीमों की समीक्षा एवं बेहतरी के सुझाव;

(vi) अनुरूपता निर्धारण से संबंधित अन्य मामले ।

6. मानक सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य - (1) मानक सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) ब्यूरो के महानिदेशक - अध्यक्ष

(ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम संयुक्त सचिव पद या इसके समतुल्य पद का एक प्रतिनिधि -

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय;

(ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय;

(ग) नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय;

(घ) आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय;

(ङ) सेवा क्षेत्र संगठन (पर्यटन अथवा शिक्षा अथवा रेलवे अथवा परिवहन)

(च) अन्य मानक विकास संगठन (मानकीकरण महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय अथवा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अथवा भारतीय रोड कांग्रेस अथवा अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, रेल मंत्रालय);

(छ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;

(ज) भारतीय गुणता परिषद्;

(झ) शैक्षणिक क्षेत्र का प्रतिष्ठित संस्थान;

(ञ) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग;

(iii) उद्योग, व्यापार एवं उनके परिसंघों से एक प्रतिनिधि;

(iv) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन से एक प्रतिनिधि;

(v) अध्यक्ष द्वारा यथा नामित कोई अन्य सदस्य;

(vi) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (मानकीकरण) - सदस्य सचिव ।

(2) मानक सलाहकार समिति निम्नलिखित से संबंधित नीति पर सलाह देगी -

(i) मानकों का सुमेलित विकास;

(ii) भारतीय मानकों की स्थापना, प्रकाशन, समीक्षा और संवर्धन;

(iii) देश और विदेश में मानक निर्धारण करने वाले अन्य संगठनों के साथ सहयोग;

(iv) मानकों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों में ब्यूरो की भूमिका;

(v) विभागीय परिषदों की प्रभावी कार्यप्रणाली और उनकी गतिविधियों की समीक्षा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना;

(vi) भारत और विदेश मानक निर्धारण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को मान्यता अथवा प्रत्यायन;

(vii) मानकीकरण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण अथवा प्रशिक्षण ।

(viii) महत्त्वपूर्ण विषयों एवं नए उभरते क्षेत्रों में निर्धारित मानकों का पुनरीक्षण करना, सुधारों के बारे में सुझाव देना तथा बहु-विषयी क्षेत्रों में संयुक्त समितियों का गठन करना;

(ix) मानकीकरण से संबंधित अन्य मामले।

7. परीक्षण एवं अंशांकन सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य -(1) परीक्षण एवं अंशांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) ब्यूरो के महानिदेशक - अध्यक्ष;

(ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम संयुक्त सचिव पद या इसके समतुल्य पद का एक प्रतिनिधि -

(क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला;

(ख) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर;

(ग) किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रयोगशाला;

(घ) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम;

(ङ) भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ;

(च) गुणता आश्वासन के महानिदेशक;

(छ) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला;

(ज) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग;

(झ) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल);

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की निजी प्रयोगशाला से एक प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(v) ब्यूरो का उपमहानिदेशक (प्रयोगशाला) - सदस्य-सचिव

(2) परीक्षण एवं अंशांकन सलाहकार समिति निम्नलिखित नीति संबंधी मामलों के बारे में सलाह देगी -

(i) प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रचालन तथा विस्तार;

(ii) ब्यूरो के अनुसंधान एवं विकास कार्यों के सहायतार्थ परीक्षण गतिविधियाँ;

(iii) परीक्षण तथा अंशांकन हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन पद्धति में प्रतिभागिता करना;

(iv) परीक्षण तथा संबद्ध गतिविधियों के प्रयोजनार्थ भारत या विदेश में किसी प्रयोगशाला को मान्यता देने में ब्यूरो के कार्य सरल बनाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना;

(v) प्रयोगशालाओं से संबंधित अन्य मामले।

8. उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति की संरचना और कृत्य - (1) उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) ब्यूरो के महानिदेशक - अध्यक्ष;

(ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग;

(iii) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों से तीन प्रतिनिधि;

(iv) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ से एक प्रतिनिधि;

(v) भारतीय उद्योग परिसंघ से एक प्रतिनिधि;

(vi) अध्यक्ष द्वारा यथा नामित कोई अन्य सदस्य;

(vii) ब्यूरो का उपमहानिदेशक (उपभोक्ता मामले) - सदस्य-सचिव।

(2) उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति निम्नलिखित नीति संबंधी मामलों के बारे में सलाह देगी-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक निर्धारण गतिविधि में उपभोक्ता के हितों तथा उपभोक्ता दृष्टिकोणों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है;

(ii) उपभोक्ता कल्याण के रूप में प्रमाणन चिन्ह गतिविधि का प्रचार करने के लिए अर्थोपाय;

(iii) भारतीय मानक ब्यूरो की मौजूदा गतिविधियों तथा संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता, ताकि उपभोक्ता कल्याण से संबंधित नया उत्पाद एवं सेवा को शामिल किया जा सके;

(iv) भारतीय मानक ब्यूरो की सार्वजनिक छवि सुधारने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो और आम उपभोक्ताओं के बीच संवाद;

(v) मानक निर्धारण कार्य में उपभोक्ता संगठनों की प्रतिभागिता;

(vi) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के साथ संपर्क करना; और

(vii) उपभोक्ता हित या शिकायत से संबंधित अन्य कोई मामला।

9. अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के लिए निबंधन एवं शर्तें - (1) सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पदों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा और वे पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) सलाहकार समिति का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अपने पद से अपना त्यागपत्र शासी परिषद् के अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर से अग्रेषित कर सकता है, और ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष की स्वीकृति या अध्यक्ष द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन जब अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा पद रिक्त होता है, तो शासी परिषद् उपयुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, को नियुक्त करने के माध्यम से रिक्ति भरने हेतु कदम उठाएगी, इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य के पद का कार्यकाल पद की शेष अवधि के लिए होगा या अन्य सदस्य, जिसके स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है, की नियुक्ति की अवधि के लिए होगा।

10. सलाहकार समितियों की बैठक - (1) प्रत्येक सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए।

(2) सलाहकार समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को नोटिस के जारी होने की तारीख से कम से कम सात दिन पहले सधारणतया नोटिस देना होगा।

(3) सलाहकार समिति के प्रत्येक नोटिस में बैठक के स्थान, तारीख और समय को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) सलाहकार समिति के अध्यक्ष को सदस्यों को बैठक की कार्यसूची, जिसमें ऐसे मामले शामिल किए जाएंगे, जो शासी परिषद् या कार्यकारी समिति या महानिदेशक या केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएं, उसे बैठक के कम से कम तीन दिन पहले तैयार करके परिचालित किया जाएगा।

(5) सलाहकार समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी।

(6) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को परिचालित किए जाएंगे और किसी प्रकार के उपांतरण सहित या रहित, यथा अपेक्षित, इसकी अगली बैठक में पुष्टि की जाएगी।

11. सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता - (1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, कानूनी या स्वायत्त निकायों (उन्हें छोड़कर जो कार्यकारी समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किए गए हों), पब्लिक सेक्टर उपक्रम, व्यापार, उद्योग एवं उनके संघ, तथा संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित सभी सलाहकार समितियों के सदस्य ब्यूरो की निधियों से यात्रा या दैनिक भत्ता आहरित करने के पात्र होंगे।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, अध्यक्ष सहित सलाहकार समितियों के सदस्यों को महानिदेशक की पूर्व सहमति पर बैठक में भाग लेने तथा शासी परिषद् या संबंधित समिति द्वारा सौंपे गए किसी कर्त्तव्य को पूरा करने लिए देश में यात्रा के दौरान यात्रा तथा दैनिक भत्ता ब्यूरो से अनुज्ञेय होगा।

(3) अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए उप-विनियम (2) के अंतर्गत अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई समितियों की बैठक के लिए गैर-अधिकारिक सदस्य के लिए यथा लागू दरों के समान होंगी।

(एच. एल. उपेंदर)

वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (सीए एवं पीपी&सी), भारतीय मानक ब्यूरो

राजपत्र अधिसूचना **फा. संख्या** बीएस/11/04/2018 दिनांक 12 अक्तूबर 2018 के माध्यम से प्रतिस्थापित

Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018
[Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4]
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)
NOTIFICATION
New Delhi, the 07th June, 2018

F. No. BS/11/04/2018 - In exercise of the powers conferred by section 39 read with section 5 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these regulations, unless the context otherwise requires, –
(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);
#(b) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018;
(c) all other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act or the rules shall have the same meanings, as respectively, assigned to them in the Act or the rules.

3. **Constitution of Advisory Committees**. – The Governing Council shall constitute the following Advisory Committees under section 5 of the Act, namely:-

(a) Finance Advisory Committee;
(b) Conformity Assessment Advisory Committee;
(c) Standards Advisory Committee;
(d) Testing and Calibration Advisory Committee;
(e) Consumer Affairs Advisory Committee.

4. **Composition and Functions of Finance Advisory Committee**. – (1) The Finance Advisory Committee shall consists of the following members, namely:-

(i) Special Secretary or Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Chairman;

(ii) Director General of the Bureau;

(iii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(iv) one representative of the National Institute of Financial Management, Faridabad;

(v) one representative of the Office of Comptroller General of Accounts;

(vi) Chief Financial Officer of Bureau of Energy Efficiency;

(vii) any other member, as nominated by the Chairman;

(viii) Deputy Director General (Finance) of the Bureau - Member-Secretary.

(2) The Finance Advisory Committee shall advise on policy matters relating to –

(i) long-term mobilisation of financial resources;

(ii) annual budget; and

(iii) annual financial statements.

5. **Composition and Functions of Conformity Assessment Advisory Committee**.– (1) The Conformity Assessment Advisory Committee shall consists of the following members, namely:-

(i) Director General of the Bureau - Chairman;

(ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following–

(a) Department dealing with Trade Policy (World Trade Organisation or Technical Barriers to Trade) in the Ministry of Commerce and Industry;

(b) Standardisation, Testing and Quality Certification;

(c) Food Safety and Standards Authority of India;

(d) Director General, Services Export Promotion Council;

(e) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(f) Ministry of Electronics & Information Technology.

(iii) one representative from Industry, Trade and their Associations;

(iv) one representative from any recognised consumer organisation;

(v) any other member as nominated by the Chairman;

(vi) Deputy Director General (Certification) of the Bureau - Member-Secretary.

(2) The Conformity Assessment Advisory Committee shall advise on -

(i) policy matters relating to Conformity Assessment;

(ii) development of conformity assessment activities of the Bureau in the country and abroad;

(iii) co-ordination of conformity assessment activity with other organisations in the country and abroad;

(iv) surveys and surveillance;

(v) review conformity assessment schemes and suggest improvements;

(vi) other matters regarding conformity assessment.

6. **Composition and Functions of Standards Advisory Committee**. – *(1)* The Standards Advisory Committee shall consists of the following members, namely :-

(i) Director General of the Bureau - Chairman;

(ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following–

(a) Ministry of Commerce and Industry;

(b) Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(c) Ministry of New and Renewable Energy;

(d) Ministry of Housing and Urban Affairs;

(e) Service Sector Organisation (Tourism or Education or Railways or Transport);

(f) other Standard Development Organisations (Directorate of Standardisation, Ministry of Defence or Automotive Research Association of India or Indian Road Congress or Research Designs and Standards Organisation, Ministry of Railways) ;

(g) Bureau of Energy Efficiency;

(h) Quality Council of India;

(i) Institute of repute in the field of academics;

(j) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(iii) one representative from Industry, Trade and their Associations;

(iv) one representative from any recognised consumer organisation;

(v) any other member as nominated by the Chairman;

(vi) Deputy Director General (Standardisation) of the Bureau - Member-Secretary.

(2) The Standards Advisory Committee shall advise on policy matters relating to –

(i) harmonious development of standards;

(ii) establishment, publication, review and promotion of Indian Standards;

(iii) collaboration with other standards formulating organisations within the country and abroad;

(iv) Bureau's role in the activities of international organisations in relation to standards;

(v) formulation of guidelines for the effective functioning of Division Councils and reviewing their activities;

(vi) recognition or accreditation of institutions engaged in area of standards formulation in India or abroad;

(vii) capacity building or trainings in area of standardisation;

(viii) review standards formulation on important subjects and emerging fields and suggest improvements, constitution of joint committees in multi-disciplinary areas;

(ix) other matters regarding standardisation.

7. **Composition and Functions of Testing and Calibration Advisory Committee**. – (1) The Testing and Calibration Advisory Committee shall consists of the following members, namely: -

(i) Director General of the Bureau - Chairman;

(ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following –

(a) National Physical Laboratory;

(b) Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore;

(c) Laboratory of any one of the Indian Institute of Technology;

(d) National Institute of Solar Energy, Gurgaon;

(e) Indian Toxicology Research Centre, Lucknow;

(f) Director General of Quality Assurance;

(g) National Chemical Laboratory;

(h) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(i) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

(iii) one representative from a private lab of national or international repute;

(iv) any other member as nominated by the Chairman;

(v) Deputy Director General (Laboratories) of the Bureau - Member-Secretary.

(2) The Testing and Calibration Advisory Committee shall advise on policy matters relating to –

(i) establishment, operation and expansion of laboratories;

(ii) testing activities to support research and development programmes of the Bureau;

(iii) participation in national and international accreditation system for testing and also for calibration;

(iv) formulation of guidelines for facilitating the Bureau in recognising any laboratory in India or abroad for the purpose of testing and associated activities;

(v) other matters regarding laboratories.

8. **Composition and Functions of Consumer Affairs Advisory Committee**. – (1) The Consumer Affairs Advisory Committee shall consists of the following members, namely : -

(i) Director General of the Bureau - Chairman;

(ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;

(iii) three representatives from recognised consumer organisations;

(iv) one representative from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry;

(v) one representative from Confederation of Indian Industry;

(vi) any other member as nominated by Chairman;

(vii) Deputy Director General (Consumer Affairs) of the Bureau - Member-Secretary.

(2) The Consumer Affairs Advisory Committee shall advise on policy matters relating to –

(i) standards formulation activity to ensure that consumer interests and consumer view points are adequately taken care of;

(ii) ways and means to propagate the Certification Marks activity as a means of consumer welfare;

(iii) need for changes in the existing activities and structure of Bureau of Indian Standards, so as to include the new product or service areas concerning the consumer welfare;

(iv) communication between Bureau of Indian Standards and the common consumers with the objective of enhancing the public image of Bureau of Indian Standards;

(v) participation of consumer organisations in standards formulation work;

(vi) liaison with Central Consumer Protection Council; and

(vii) any other matter related to consumer interest or grievances.

9. **Terms and Conditions of office of Chairman and Members**. - (1) The term of office of the Chairman and other members of an Advisory Committee shall be two years and they shall be eligible for re-appointment.

(2) The Chairman or any other member of an Advisory Committee may resign his office by forwarding his letter of resignation under his own hand to the President of the Governing Council, and such resignation shall take effect from the date of its acceptance by the President or on the expiry of a period of one month from the date of its receipt by the President, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs by resignation of a Chairman or any other member under sub-regulation (2) or otherwise, the Governing Council shall take steps to fill that vacancy by appointing suitable person and the Chairman or the other member, as the case may be, so appointed shall hold office for the remainder of the term of office of the Chairman or the other member in whose place he is appointed.

10. **Meeting of Advisory Committees**. – (1) A meeting of each Advisory Committee shall be held at least once in a calendar year.

(2) A notice of not less than seven days, from the date of issue, shall be ordinarily given to the members for each meeting of an Advisory Committee.

(3) Every notice of a meeting of an Advisory Committee shall specify the place and the day and hour of the meeting.

(4) The Chairman of an Advisory Committee shall cause to be prepared and circulated to the members an agenda for the meeting, which shall include such matter as may be referred to the Advisory Committee by the Governing Council or Executive Committee or Director General or Central Government, at least three days before such meeting.

(5) The quorum for a meeting of an Advisory Committee shall be three.

(6) The minutes of proceedings of each meeting shall be circulated to each member of an Advisory Committee and shall be confirmed at the next meeting with or without modifications, as the case may require.

11. Travelling and Daily Allowances to the Members of the Advisory Committees. - (1) The members of an Advisory Committees including the Chairman of each such Committee, representing the Central Government, State Governments, Union territories, Statutory and autonomous bodies (other than those specially approved by the Executive Committee), public sector undertakings, trade, industry and their associations, and the Members of Parliament, shall not be eligible to draw any travelling or daily allowance from the funds of the Bureau.

(2) Travelling and daily allowances to the members of the Advisory Committees, including Chairman other than those specified in sub-regulation (1), while travelling within the country with prior concurrence of the Director General, may be admissible from the Bureau for attending meetings and discharging any duty assigned by the Governing Council or the Committee concerned.

(3) The rates of travelling and daily allowances admissible to the Chairman and members under sub-regulation (2) shall be the same as applicable to a non-official member attending the meetings of Committees set up by the Central Government.

(H. L. Upendar)

Scientist G & DDG (CA & PP&C), Bureau of Indian Standards

Substituted vide Gazette notification No. **F. No. BS/11/04/2018** dated 12 October 2018